कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

दिनांक–

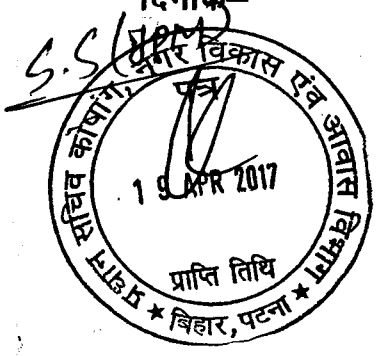

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), मुंगेर
जिला– मुंगेर

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर के 2011–12 से जनवरी 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1210 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14660 / 15

दिनांक– 12.04.201

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुंगेर

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1210/16–17

भाग–1

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर
2	लेखा की अवधि	2011–12 से जनवरी 2017 तक
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	लेखापरीक्षा में प्रस्तुत एवं जॉच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–1 पर तथा अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–2 पर दी गई है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	04.02.2017 से 15.2.2017 तक
5	कार्यपालक अभियंता का नाम	1. श्री उमाकांत रजक 1.4.2012 से 6.08.2014 2. श्री नरेश प्रसाद 6.08.2014 से 20.07.2016 3. श्री अनिल कुमार सिंह 20.07.2016 से 31.01.2017
6.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण:	1. श्री रमेश कुमार अभिषेक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री वरूण प्रकाश, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 3. श्री राजेश भूषण, वरीय लेखापरीक्षक
7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	श्री संजय कुमार सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर का यह प्रथम लेखापरीक्षा था।
9	लेखापरीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार–विमर्श हुआ	हाँ, दिनांक 15.2.2017 को

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

117

भाग–।। (क)

कंडिका 1 मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत हाईमास्ट लाईट का अधिष्ठापन

बिहार वित्त नियमावली –2005 के नियम –131(ग) के अनुसार रू0–15000.00 तक का क्रय बगैर किसी प्रक्रिया के एवं नियम –131(घ) के अनुसार रू0– 15000.00 से 100000.00 तक की सामग्री का क्रय एक स्थानीय क्रय समिति गठन कर रू0– 2500000.00 से कम की सामग्री का क्रय लिमिटेड टेण्डर इनक्वायरी से तथा रू0– 25.00 लाख एवं उससे उपर मूल्य के सामग्री का क्रय एडवरटाइज्ड टेण्डर इनक्वायरी द्वारा होना है, साथ ही बिहार वित्त नियमावली–2005 के नियम–131(पी) के अनुसार क्रय की गयी सामग्रियों के कुल मूल्य का 5 से 10 प्रतिशत तक राशि घटाकर ही अन्तिम भुगतान किया जाना।

जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर के स्थापना से जनवरी 2017 तक के लेखापरीक्षा में प्रस्तुत योजना पंजी, मासिक प्रगति प्रतिवेदन, रोकड़ बही एवं संबंधित संचिका के जांच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 में कुल 31 हाईमास्ट लाईट लगाने के लिए अति अल्पकालिन कोटेशन आमंत्रन सूचना सं0 02/2015–16 के द्वारा कोटेशन आमंत्रित किया गया।

उपर्युक्त कार्य के लिए दो कोटेशनदाताओं यथा–गौतम कुमार, कोयलाघाट, आदमपुर, भागलपुर एवं मे0 भाव्या ईंटरप्राईजेज, मिरजन हाट, भागलपुर के द्वारा प्रत्येक हाईमास्ट हेतु अलग–अलग कोटेशन दिया गया। गौतम कुमार, कोयलाघाट, आदमपुर, भागलपुर ने प्रति हाईमास्ट लाईट रू0 781016/– एवं भाव्या ईंटरप्राईजेज, मिरजन हाट, भागलपुर ने प्रति हाईमास्ट लाईट रू0 792000/– का कोटेशन दिया। comparative statement के अनुसार गौतम कुमार, कोयलाघाट, आदमपुर, भागलपुर के कोटेशन को अस्वीकार कर दिया गया। दो कोटेशनदाताओं में से बचे एक कोटेशन दाता मे0 भाव्या ईंटरप्राईजेज, मिरजन हाट, भागलपुर से दर वार्ता के उपरान्त राशि रू0 690000/– पर कोटेशन स्वीकार करते हुए तीन वर्षीय रख– रखाव के साथ 24 हाईमास्ट लाईट लगाने हेतु कार्य आवंटित किया गया। comparative statement में गौतम कुमार, कोयलाघाट, आदमपुर, भागलपुर के कोटेशन को अस्वीकार करने का कारण दर्ज नहीं किया गया।

मासिक प्रतिवेदन एवं रोकड़ बही के अनुसार कुल 24 हाईमास्ट लाईट के अधिष्ठापन के लिए कुल ₹17666160/– का आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें से कुल 16560000/–(690000×24) व्यय किया गया है। शेष राशि रू0 1106160/– अप्रयुक्त पड़ी है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ

1 अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया गया था।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना को समाप्त कर दिया गया था। राशि को खर्च करने के लिए कम दिन का समय था। अतः समय की कमी के कारण अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया गया।

मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना का कार्यान्वयन समाप्त होने पर अवशेष राशि को वापस किया जाना था। राशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए जल्दबाजी में खर्च करना वित्तीय नियमों के प्रतिकुल है। साथ ही अल्पकालीन निविदा अति आवश्यक कार्य/आपदा की स्थिति में आमंत्रित किया जाता है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी। परंतु जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर द्वारा अवशेष राशि को खर्च करने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया गया एवं राशि को खर्च किया गया जो अनियमित है।

2 संवेदक श्री गौतम कुमार, कोयलाघाट, आदमपुर, भागलपुर के कोटेशन को अस्वीकार किया गया था।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि टेक्नीकल बिड के आधार पर इनका कोटेशन अस्वीकृत किया गया था। परंतु अंकेक्षण में टेक्नीकल बिड प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे श्री गौतम कुमार के कोटेशन को अस्वीकार करने के कारणों से लेखापरीक्षा अवगत नहीं हो सका।

3 कोटेशनदाता श्री गौतम कुमार, कोयलाघाट, आदमपुर, भागलपुर के कोटेशन अस्वीकार किये जाने के बाद बचे एक कोटेशन दाता मे0 भाव्या ईंटरप्राईजेज, मिरजन हाट, भागलपुर, जोकि न्यूनतम बीडर (bidder) थे, से दर वार्ता के उपरान्त प्रस्तावित प्रति हाईमास्ट लाईट राशि रू0 792000/–से घटाकर राशि रू0 690000/– पर कोटेशन स्वीकार किया गया।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि दर वार्ता हेतु सरकार के प्राप्त पत्र के आलोक में दर वार्ता किया गया। लेकिन सरकार के पत्र को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4 बिहार वित नियमावली –2005 के नियम –131(घ) के अनुसार रू0– 25.00 लाख एवं उससे उपर मूल्य के सामग्री का क्रय एडवरटाइज्ड टेण्डर इनक्वायरी द्वारा होना है। उपर्युक्त कार्य के लिए निविदा आमंत्रित न कर कोटेशन मँगाया गया।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि नन शेडयूल आइटम होने के कारण कोटेशन मॅगाया गया था। परंतु नन शेडयूल आइटम का सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5 उपर्युक्त कार्य के लिए कुल आंवतिटत राशि रू0 17666160/– में रू0 16560000/– उपर्युक्त कार्य में व्यय किया गया। शेष राशि रू0 1106160/– अप्रयुक्त पड़ी है।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि भुगतान लंबित है ।

उपरोक्त आपतियों एवं उसके जवाब से स्पष्ट है कि राशि को व्यय करने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन का सहारा लिया गया एवं दो कोटेशन दाताओं में से एक को अस्वीकार कर दिया गया जिसका कारण लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया।

115

भाग–।। (ख)

कंडिका 2 परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना–रू0 11.64 लाख

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सहपठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यो में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), मुंगेर के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) की बिक्री की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा बैंक में जमा किया गया था। परन्तु, यह राशि डूडा कार्यालय द्वारा सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा नहीं की गयी थी। इस प्रकार सरकारी धन को लगभग पॉच साल से कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया।

जवाब में यह बताया गया कि सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार परिमाण विपत्र की राशि को कोषागार में जमा नहीं करना था, इसलिए जमा नहीं किया गया। जवाब मान्य नहीं है। बी0ओ0क्यू0 मद में प्राप्त कुल राशि रू0 1163950.00 सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

कंडिका 3 बैंक खातों में प्राप्त ब्याज की राशि को सरकार को वापस नहीं किया जाना रू0 77.28 लाख

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– को0प्र0/विविध–06/2015/4349; दिनांक– 12.05.2015 के अनुसार स्थानीय अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त राशियों को बैंक खातों में रखा जाता है। पी0एल0 खाते में जमा राषि सरकार के राजकोष में रहती है, लेकिन बैंक खातों में जमा राशि सरकार के राजकोष से बाहर रहती है जिससे राज्य का नगद अंतशेष कम होता है। उपरोक्त पत्रांक की कंडिका–1 में यह निर्देश दिया गया था कि जिला शहरी विकास अभिकरण के बैंक खातों में जमा अव्यवहृत राशि को पी0एल0 खाते में जमा करायी जाए। अव्यवहृत लोक धन पर उदग्रहित ब्याज राशि को अभिकरण के खाते में आय के रूप में नहीं लिया जाए तथा ब्याज राशि सरकार को चेक के माध्यम से वापस की जाए ताकि उसे सुसंगत शीर्ष में जमा कराया जाए।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), मुंगेर द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़बहियों एवं बैंक पासबुक की जाँच में यह पाया गया कि सरकार द्वारा प्राप्त सहायक अनुदान की राशियों को पॉच बैंक खातों में जमा किया गया था, जिन पर ब्याज के रूप में कुल रू0 7727658.00 प्राप्त किया गया था (परिशिष्ट–)। परंतु, इस ब्याज राशि को वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र के आलोक में सरकार के खाते में वापस नहीं किया गया था।

जवाब में यह बताया गया कि इस संबंध में सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः ब्याज के रूप में अर्जित कुल रू0 7727658.00 सरकार को यथाशीघ्र वापस किया जाये।

कंडिका 4 ढुलाई पर अनियमित भुगतान रु 7.50 लाख

वित विभाग के पत्रांक 165 दिनांक 12.1.2006 में यह स्पष्ट आदेश है कि सामग्रियों का क्रय उन्ही संस्थानों से किया जाना है जो वाणिज्य कर विभाग से निबंधित हो साथ ही निर्माण कार्य में लघु खनिज यथा–पत्थर, बालू, ईट, मिट्टी एवम अन्य का उपयोग संवेदकों द्वारा किया जाता है उक्त लघु खनिज की खरीदारी बिहार लघु खनिज समनुदान नियमाली 1972 के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता, प्रबंधक, संवेदक, या उप– पट्टाधारी से की जाती है तो इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' में अपना शपथ पत्र विपत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग प्रपत्र ' एम' तथा'एनं' में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके प्रपत्र ' एम' तथा 'एनं' के शपथ को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा प्रपत्र 'एम' तथा 'एनं' में शपथ पत्र विपत्र के साथ नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमाली 1972 के नियम 40(8) के अंतर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवम अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है

योजना अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया की ढुलाई पर रु. 750163.00 व्यय किया गया, परन्तु किसी भी अभिलेख में न ही चालान और न ही प्रपत्र ' एम' तथा 'एनं' कार्यकारी एजेंसी द्वारा किया गया था जबकि सभी योजनाओं में कार्यकारी एजेंसियों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है विवरण निम्न है –

क्रम स०	योजना का नाम	एकरारनामा संख्या	अभिकर्ता का नाम	सामग्री/मात्रा	ढुलाई पर व्यय
1	Construction of park boundary wall at west and north side of polo ground south & west of Karun Vihar under Munger Nagar Nigam	24 F2 /2013-14	श्री प्रभात कुमार	ईंट / 67855	35149
				स्टोन चिप्स / 169.78 एम क्यु	250616
				किउल सैण्ड / 150.06 एम क्यू	101074
				लोकल सैण्ड / 53.19 एम क्यू	8866
2	Construction of pcc road and drain at Gaund tola chua bagh Munger	01F2/2012 -13	श्री यादव अजीत सिंह		
				लोकल सैण्ड / 115.03 एम क्यू	19348
				ईंट / 40868	19474
				किउल / 114.89एम क्यू	69214
				स्टोन चिप्स / 186.70 एम क्यू	246422
कुल					750163

13

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि जानकारी के अभाव में प्रपत्र एम एवं एन नहीं लिया गया। वर्तमान में चलने वाली योजनाओं में लिया जा रहा है। अतः एम0 और एन0 प्रपत्र अभिकर्ता से प्राप्त किया जाय।

<u>कंडिका 5 अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी नहीं लिये जाने से संवेदक को अदेय सहायता–₹ 5.70 लाख</u>

अभियन्ता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक –प्र06/1!बी0–122003 3376 एस दिनांक 17.08.2010 में दिये गये निर्देश के अनुसार अगर कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन में Serious Unbalanced कम दर पर अपनी निविदा मे उद्वत करता है तो उनसे लिखित रूप में मद का विस्तृत दर विश्लेषण प्राप्त किया जाय कि वे इस कार्य को कैसे संपादित करायेगें तथा Serious Unbalanced दर के लिए संवेंदक से Additional Performance Guarantee की माँग की जाय।

1. परिमाण विपत्र की दर से 5 प्रतिशत तक कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्वत दर के लिए ली जाएगी

2. परिमाण विपत्र की दर से 5 से 10 प्रतिशत कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्वत दर के लिए ली जाएगी

3. परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम उद्वत दर वाले निविदा के लिए 1 प्रतिशत Additional Performance Guarantee प्रति एक प्रतिशत उद्वत दर के लिए ली जाएगी

कार्यपालक अभियन्ता जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर के लेखाभिलेखों के नमूना जाँच के कम में पाया गया कि निम्न योजनाओ की निविदा में सफल संवेदको द्वारा परिमाण विपत्र दर से 1 से 15 प्रतिशत कम दर उद्वत किया गया था परन्तु उनसे नियमानुसार Additional Performance Guarantee राशि रू. 569724 जमा नही करायी गयी थी। विवरण निम्न प्रकार से है :–

क. सं.	योजना का नाम	एकरारनामा संख्या	प्राक्कलित राशि : रु	एकरारित राशि रु	कम दर	A.P.G. दर	A.P.G. मूल्य
1	Construction of park/ boundary wall at west & north side of polo ground, south & west of karn vihar under nagar nigam Munger	24 F2/2013-14	3452185	2934357	15 प्रतिशत कम	8.75 %	422373
2	Construction of pcc road, brick drain and rcc drain at Gaundh tola chuabagh in Munger	01F2/2012-13	1684009	1431408	15 प्रतिशत कम	8.75%	147351
				कुल			569724

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा । कार्य संपन्न हो चुका है। अतः इस पर कोई भी कार्रवाही नहीं की जा सकती है। अतः जवाब के आलोक में भविष्य में इसका ध्यान रखा जाये।

कंडिका 6 मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अंतर्गत मोगल बाजार (लव–कुश) नगर से भाया बसंत विहार होते हुए मुख्य मार्ग आई0टी0सी0 गेस्ट हाउस तक पी.सी.सी. रोड एवं नाला निर्माण कार्य

निविदा की तिथि	:–	20.05.14
प्राक्कलित राशि	:–	₹ 1,16,59,269.00
एकरारित राशि	:–	₹ 1,15,42,676.00 (1% below)
एकरारनामा संख्या एवं वर्ष	:–	01 F2 /2014-15
संवेदक का नाम	:–	श्रीमति माला देवी
कार्य प्रारम्भ की तिथि	:–	19.07.14
कार्य पूर्ण करने का समय	:–	6 माह
कार्य समाप्ति की तिथि	:–	20.01.15
मापी का मुल्य :–		₹ 1,15,36,561.00
योजना की भौतिक स्थिति	:–	पूर्ण
अद्यतन भुगतान	:–	₹ 1,15,36,561.00
		मापी पुस्त संख्या–96/2014–15

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित संचिका व अभिलेखों के नमूना जाँच क्रम में निम्न तथ्य प्रकाश में आए–

क लघु खनिजों की ढुलाई पर अनियमित भुगतानः मो0 15.99 लाख

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार लघु खनिजों की ढुलाई को सुनिश्चित करने तथा अवैध उत्खनन को रोकने के उद्देश्य से संवेदकों से प्रपत्र एम0 तथा एन0 के साथ चालानों की प्रति लिया जाना है। चालानों का सत्यापन खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है। बिहार वित्तीय नियामावली के प्रावधानानुसार भी ढुलाई मद में किये गये भुगतान के लिए अभिश्रव/चलानों का होना आवश्यक है। अभिश्रव प्राप्त किये वगैर ढुलाई मद में भुगतान वर्जित है।

उपरोक्त कार्य के अभिलेखों के जाँच मे पाया गया कि इस कार्य में 4था विपत्र मूल्य तक व्यवहृत खनन सामग्रियों यथा स्टोन चिप्स, ईंट तथा सोन बालू का भुगतान संवेदक से प्रपत्र एम0 तथा एन0 चालानों की प्रति लिए बगैर ही, सिर्फ रायल्टी काटकर किया गया था। विवरणी निम्नवत् हैः–

सामग्री का नाम	खपत मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रू. में)
Stone chips(Lead 127KM)	852.36 m^3	1476.12/m^3	1258186.00
Local sand(Lead 3KM)	909.66 m^3	166.68/. m^3	151622.00
Coarse sand(Lead 5 KM)	108.39 m^3	673.56/m^3	73007.00
Bricks(Lead 8KM)	226025 सं0	518.00प्रति हजार	117081.00
		कुल	**1599896.00**

इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त लघु खनिजों, जो कार्य उपयोग में लायी गयी थी वह एकरारनामें में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही लायी गयी हैं।
जवाब में बताया गया कि संभवतः जानकारी के अभाव में प्रपत्र एम0 एवं एन0 नहीं लिया गया होगा। अब लिया जा रहा है। बिहार सरकार के विभिन्न पत्रों द्वारा यह भी निदेशित किया गया है कि रॉयल्टी की राशि काटकर संवेदक को भुगतान किया जा सकता है।

11

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि संवेदक से प्रपत्र एम0 एवं एन0 नहीं लिया गया था न हीं दुगना रॉयल्टी की कटौती की गयी थी। अतः एम0 तथा एन0 प्रपत्र नहीं लिए जाने के कारण उपरोक्त भुगतान रू0 1599796 अनियमित था।

ख. कार्य का अवमानक होना

नियमतः कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवता जाँच उसके हरेक स्टेज पर किया जाना है ताकि उसकी गुणवत्ता कायम रहे। इस संबंध में विभाग द्वारा भी समय– समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि इस कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवता जाँच cement mortar, brick K & C की जाँच दिनांक 31.12.2014 को किया गया एवं इसके बाद भी दिनांक 19.01.2014 को चौथा चंलत लेखा विपत्र में आगे के कार्य कराये गये थे जिसका गुणवता जाँच नहीं कराया गया क्योंकि जाँच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में उपलब्ध नहीं था।

जवाब में बताया गया कि गुणवता प्रमाण पत्र लिया गया है। अंतिम विपत्र पारित होने के पहले गुणवता की जॉच करवाना आवश्यक है अतः संवेदक को भुगतान किया गया। जवाब मान्य नहीं होगा क्योंकि गुणवता जाँच के बाद भी दिनांक 19.01.2014 को चौथा चंलत लेखा विपत्र में आगे के कार्य कराये गये थे जिसका गुणवता जाँच नहीं कराया गया था।

ग. कार्यादेश का पालन नहीं

कार्यादेश के क्रम सं0 7 के अनुसार कार्यस्थल पर सूचनापटट लगवाया जाना था एवं इसका फोटो संचिका में संलग्न किया जाना था। क्रम सं0 8 के अनुसार कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं अंत में कार्यस्थल का रंगीन फोटो संचिका में सलंग्न किया जाना चाहिए था। परंतु संचिका के जॉच में पाया गया कि न तो सूचनापटट का और न ही योजना का कोई फोटो संचिका में संलग्न किया गया था।

जवाब में बताया गया कि कार्य का सूचनापट का फोटो लिया गया था लेकिन द्वितीय आवंटन मांगने के लिए कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं अंत का रंगीन फोटो जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया गया। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कार्यस्थल का रंगीन फोटो संचिका में सलंग्न किया जाना चाहिए था।

घ. संचिका के संधारण में लापरवाही

अभिलेख के जॉच में पाया गया कि नोटिंग साइड में किसी भी तरह का भुगतान आदेश एवं भुगतान एवं कटौती राशि का विवरण एवं कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर आदि नहीं पाया गया। संचिका में बी0 ओ0 क्यू0, संवेदक का स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी का निबंधन प्रमाण पत्र, योग्यता इत्यादि संलग्न नहीं था। इससे स्पष्ट है कि संचिका के संधारण में लापरवाही बरती गयी ।

जवाब में बताया गया कि कर्मियों की कमी एवं आवश्यक प्रशिक्षण के अभाव में संचिका संधारण में कमियॉ रह गई। भविष्य में इसका घ्यान रखा जाएगा। इस संबंध में यह भी कहना आवश्यक है कि इस प्रमंडल में मात्र कार्यपालक अभियंता का हीं पद स्वीकृत है।

जवाब संतोसप्रद नहीं है, क्योंकि संचिका का संधारण नियमित रूप से नहीं किये जाने से योजना में अनियमितता की संभवना बढ जाती है।

कंडिका 7 हवेली खड़गपुर नगर पंचायत के वार्ड न0–01 महादेवपुर में पी0डब्लू डी0 पथ दो पोखरिया के नजदीक में विन्देश्वरी रजक के घर होते हुए मुख्य पथ तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण

मद	:–	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना
निविदा की तिथि	:–	11.09.13
प्राक्कलित राशि	:–	₹1475205
एकरारित राशि	:–	₹1475205 (On B.OQ rate)
एकरारनामा संख्या एवं वर्ष	:–	14 F2 /2013-14

संवेदक का नाम	:–	श्रीमति रिंकु देवी
कार्य प्रारम्भ की तिथि	:–	29.11.13
कार्य पूर्ण करने का समय	:–	3 माह
कार्य समाप्ति की तिथि	:–	28.02.14
मापी का मूल्य	:–	₹1474487
योजना की भौतिक स्थिति	:–	पूर्ण
अद्यतन भुगतान	:–	₹1474487
		मापी पुस्त संख्या–84/2013–14

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित संचिका व अभिलेखों के नमूना जाँच क्रम में निम्न तथ्य प्रकाश में आए :–

क <u>लघु खनिजों की ढुलाई पर अनियमित भुगतानः ₹ 5.25 लाख</u>

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार लघु खनिजों की ढुलाई को सुनिश्चित करने तथा अवैध उत्खनन को रोकने के उद्देश्य से संवेदकों से प्रपत्र एम0 तथा एन0 के साथ चालानों की प्रति लिया जाना है। चालानों का सत्यापन खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है। बिहार वित्तीय नियामावली के प्रावधानानुसार भी ढुलाई मद में किये गये भुगतान के लिए अभिश्रव/चलानों का होना आवश्यक है। अभिश्रव प्राप्त किये बगैर ढुलाई मद में भुगतान वर्जित है।

उपरोक्त कार्य के अभिलेखों के जाँच मे पाया गया कि इस कार्य में 2nd विपत्र मूल्य तक व्यवहृत खनन सामग्रियों यथा स्टोन चिप्स, ईंट तथा सोन बालू का भुगतान संवेदक से प्रपत्र एम0 तथा एन0 चालानों की प्रति लिये बगैर ही, सिर्फ रायल्टी काटकर किया गया था। विवरणी निम्नवत् है:–

सामग्री का नाम	खपत मात्रा	ढुलाई दर	राशि
Stone chips(Lead 127KM)	290.13 m^3	1476.12/m^3	428267
Local sand(Lead 3KM)	129.00 m^3	181.56/ m^3	23421
Coarse sand(Lead 35 KM)	145.06 m^3	504.60/m^3	73197
		कुल	**524885**

इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त लघु खनिजों की, जो कार्य उपयोग में लायी गयी थी वह एकरारनामें में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही लायी गयी हैं।
जवाब में बताया गया कि जानकारी के अभाव में प्रपत्र एम0 एवं एन0 नहीं लिया गया था अब लिया जा रहा है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि संवेदक से प्रपत्र एम0 एवं एन0 नहीं लिया गया था न हीं दुगना रॉयल्टी की कटौती की गयी थी। अतः एम0 तथा एन0 प्रपत्र नहीं लिए जाने के कारण उपरोक्त भुगतान रू0 524885.00 अनियमित था।

ख. <u>रॉयल्टी मद में कम कटौती–रू0 0.07 लाख</u>

योजना में उपयोग की गयी सामग्री की मात्रा निम्नलिखित थी:–

सामग्री का नाम	खपत मात्रा	रॉयल्टी दर	राशि (रू0 में)
Earth	161.25 m^3	15 /m^3	2419
Sand	274.06 m^3	50/ m^3	13703
Stone chips	290.13 m^3	100/ m^3	29013
	कुल		**45135**

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि रॉयल्टी मद में 45135.00 रू0 की कटौती करनी थी परंतु योजना में मात्र रू0 37783.00 की कटौती की गयी थी एवं मिट्टी खनन पर शून्य रॉयल्टी कटौती की गयी थी। अतः रॉयल्टी मद में कम कटौती रू0 7352.00 (45135-37783) संवेदक से वसूलनीय है।

जवाब में बताया गया कि जॉचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। अतः रॉयल्टी की राशि रू0 7352 संवेदक से वसूल कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाये।

ग. कार्यादेश का पालन नहीं

कार्यादेश के कम सं0 7 के अनुसार कार्यस्थल पर सूचनापटट लगवाया जाना था एवं इसका फोटो संचिका में संलग्न किया जाना था। कम सं0 8 के अनुसार कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं अंत में कार्यस्थल का रंगीन फोटो संचिका में सलंग्न किया जाना चाहिए था। परंतु संचिका के जॉच में पाया गया कि न तो सूचनापट्ट का न ही योजना का कोई फोटो संचिका में संलग्न किया गया था।

जवाब में बताया गया कि कार्य का सूचनापट का फोटो लिया गया था लेकिन द्वितीय आवंटन मांगने के लिए कार्य के प्रारंभ, मध्य एवं अंत का रंगीन फोटो जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया गया। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कार्यस्थल का रंगीन फोटो संचिका में सलंग्न किया जाना चाहिए था।

घ. संचिका के संधारण में लापरवाही

अभिलेख के जॉच में पाया गया कि नोटिंग साइड में किसी भी तरह का भुगतान आदेश एवं भुगतान एवं कटौती राशि का विवरण एवं कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर आदि नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि संचिका के संधारण में लापरवाही बरती गयी।

जवाब में बताया गया कि कर्मियों की कमी एवं आवश्यक प्रशिक्षण के अभाव में संचिका संधारण में कमियॉ रह गई। भविष्य में इसका घ्यान रखा जाएगा। इस संबंध में यह भी कहना आवश्यक है कि इस प्रमंडल में मात्र कार्यपालक अभियंता का हीं पद स्वीकृत है। जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि संचिका का संधारण नियमित रूप से नहीं किये जाने से योजना में अनियमितता की संभवना बढ जाती है।

कंडिका 8 हवेली खड़गपुर नगर पंचायत के वार्ड न0–12 में शिवनन्दन स्वर्णकार के घर से बजरंगबली स्थान तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण

मद	:–	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना
निविदा की तिथि	:–	30.10.13
प्राक्कलित राशि	:–	₹979773.00
एकरारित राशि	:–	₹979773.00 (On B.OQ rate)
एकरारनामा संख्या एवं वर्ष	:–	22 F2 /2013-14
संवेदक का नाम	:–	श्री सौरभ कुमार
कार्य प्रारम्भ की तिथि	:–	31.12.13
कार्य पूर्ण करने का समय	:–	3 माह
कार्य समाप्ति की तिथि	:–	06.03.14
मापी का मूल्य	:–	₹975880.00
योजना की भौतिक स्थिति	:–	पूर्ण
अद्यतन भुगतान	:–	₹975880.00
		मापी पुस्त संख्या–90/2013–14

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित संचिका व अभिलेखों के नमूना जाँच क्रम में निम्न तथ्य प्रकाश में आए –

क लघु खनिजों की ढुलाई पर अनियमित भुगतानः ₹ 3.12 लाख

बिहार लघु खनिज समुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार लघु खनिजों की ढुलाई को सुनिश्चित करने तथा अवैध उत्खनन को रोकने के उद्देश्य से संवेदकों से प्रपत्र एम0 तथा एन0 के साथ चालानों की प्रति लिया जाना है। चालानों का सत्यापन खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है। बिहार वित्तीय नियामावली के प्रावधानानुसार भी ढुलाई मद में किये गये भुगतान के लिए अभिश्रव/चलानों का होना आवश्यक है। अभिश्रव प्राप्त किये वगैर ढुलाई मद में भुगतान वर्जित है।

उपरोक्त कार्य के अभिलेखों के जाँच मे पाया गया कि इस कार्य में 1st & final विपत्र मूल्य तक व्यवहृत खनन सामग्रियों यथा स्टोन चिप्स, ईंट तथा सोन बालू का भुगतान संवेदक से प्रपत्र एम0 तथा एन0 चालानों की प्रति लिये बगैर ही, सिर्फ रायल्टी काटकर किया गया था। विवरणी निम्नवत् हैः–

सामग्री का नाम	खपत मात्रा	ढुलाई दर	राशि (रू. में)
Stone chips (Lead 127KM)	186.32 m^3	1476.12/m^3	275031
Local sand (Lead 3KM)	200.23 m^3	181.56/ m^3	36354
Bricks(Lead 8KM)	1500 सं0	518 प्रति हजार	777
		कुल	**312162**

इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त लघु खनिजों की, जो कार्य उपयोग में लायी गयी थी वह एकरारनामें में प्रावधानित खदानों/स्थलों से ही लायी गयी हैं।
जवाब में बताया गया कि सरकार द्वारा यह भी प्रावधान है कि यदि संवंदक अगर एम0 एन0 चालान नहीं जमा करते तो रॉयल्टी की राशि काटकर संवेदक को भुगतान किया जा सकता है। इसलिए संभवतः इसी कारण से रॉयल्टी की राशि काटकर भुगतान किया गया है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि संवेदक से प्रपत्र एम0 एवं एन0 नहीं लिया गया था न हीं सरकार द्वारा निदेशित, दुगनी रॉयल्टी की कटौती की गयी थी। अतः एम0 तथा एन0 प्रपत्र नहीं लिए जाने के कारण उपरोक्त भुगतान रू0 312162.00 अनियमित था।

ख. रॉयल्टी मद में कम कटौती–रू0 0.06 लाख

योजना में उपयोग की गयी सामग्री की मात्रा निम्नलिखित थीः–

सामग्री का नाम	खपत मात्रा	रॉयल्टी दर	राशि (रू0 में)
Earth	134.28 m^3	22 /m^3	2954
Sand	200.23 m^3	50/ m^3	10012
Stone chips	186.32 m^3	100/ m^3	18632
Bricks(Lead 8KM)	1500 सं0	20 प्रति हजार	30
	कुल		**31628**

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि रॉयल्टी मद में ₹ 31628.00 की कटौती करनी थी परंतु योजना में मात्र रू0 25072.00 की कटौती की गयी थी एवं मिट्टी खनन पर शून्य रॉयल्टी कटौती की गयी थी। अतः रॉयल्टी मद में कम कटौती रू0 6556.00 (31628-25072) संवेदक से वसूलनीय है।

जवाब में बताया गया कि जॉचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। अतः रॉयल्टी की राशि रू0 6556 संवेदक से वसूल कर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

ग. संचिका के संधारण में लापरवाही

अभिलेख के जॉच में पाया गया कि नोटिंग साइड में किसी भी तरह का भुगतान आदेश एवं भुगतान एवं कटौती राशि का विवरण एवं कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर आदि नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि संचिका के संधारण में लापरवाही बरती गयी।

जवाब में बताया गया कि मात्र कार्यपालक अभियंता का हीं पद स्वीकृत है इस कारण से योजनाओं का संधारण समय पर नहीं हो पाता है भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि संचिका का संधारण नियमित रूप से नहीं किये जाने से योजना में अनियमितता की संभवना बढ जाती है।

कंडिका 9 अमान्य 1% Contingency राशि (रू0 1.48 लाख)

नगर विकास एवं आवास विभाग (न.व. आ.वि.), बिहार सरकार के पत्रांक– 3458; दिनांक– 21.06.2011 के द्वारा न.व. आ.वि. के नियंत्रणाधीन गठित शहरी अभियंत्रण कोषांग (डूडा) के कनीय कर्मियों, तृतीय वर्ग कर्मियों के मानदेय, कार्यालय व्यय एवं अन्य व्यय, जिसके लिए राज्य बजट से व्यवस्था नहीं की की गई थी, हेतु प्रत्येक परियोजना के कुल लागत का चार प्रतिशत (4%) सेवा शुल्क (Centage Charge) लेने की अनुमति दी गई थी। आगे, वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–एम–4–26/2013/653/वि0; दिनांक – 25.01.2016 द्वारा राज्य के बोर्ड/निगम के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अलग– अलग दरों पर चार्ज की जा रही Centage राशि की दरों में एकरूपता लाया गया तथा Centage का दर निर्धारित किया गया। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया था कि वर्त्तमान में Contingency के रूप में ली जा रही 1% की राशि अनुमान्य नहीं होगी।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), मुंगेर के वर्ष 2016 में कार्यान्वित कराए जा रहे कार्यों के अभिलेखों तथा अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण (अक्टूबर 2016) की जाँच में यह पाया गया कि कार्यों के प्राक्कलनों में 4% Centage Charge के अतिरिक्त Contingency के रूप में 1% राशि का भी प्रावधान किया गया था। यह पाया गया कि डूडा मुंगेर द्वारा वर्ष 2016–17 में रू0 148.68 लाख की प्राक्कलित राशि वाली कुल 03 योजनाएं कार्यान्वित की जा रहीं थीं, जिनमें Centage Charge (4%) के मद में रू0 5.95 लाख के अतिरिक्त Contingency (1%) के मद में कुल रू0 1.48 लाख राशि चार्ज किया गया था जो कि अनुमान्य नहीं था।

जवाब में बताया गया कि 1% राशि work contingency के लिए है, यह प्राक्कलन में प्रावधान करना आवश्यक है। इस राशि का व्यय साधारणतया कार्य में शिलापट का निमाण या कार्य में परिवर्तन की संभावना में खर्च किया जाता है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–एम–4–26/2013/653/वि0; दिनांक– 25.01.2016 के अनुसार Contingency के रूप में ली जा रही 1% की राशि अनुमान्य नहीं थी। अतः उचित अनुपालन किए जाने तक योजनाओं की प्राक्कलित राशि में से Centage Charge (4%) के साथ Contingency (1%) के मद में चार्ज की गई कुल राशि रू0 1.48 लाख की राशि अनियमित था।